②

टी0ए0 मिस केस सं0 343/2018-19

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
08.03.19		

अभिलेख उपस्थापित।आवेदक(1)सामु बानरा, पिता-स्व0 सोमा बानरा(हो) (2)सोमाय बानरा,(3)चोकरो बानरा दोनों का पिता–स्व0 जुड़ाय बानरा, ग्राम– टोन्टो, थाना– मुफ्फसिल जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– टोन्टो, थाना नं०–650,के अन्दर खाता नं०– 63प्लॉट नं०– 972,रकवा– 0.09½डी0 भूमि क्रेता मंजु सुन्डी, पिता– स्व0 शिव दयाल सुन्डी ,ग्राम– बड़ालागिया, थाना– मुफ्फसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के दादा के नाम से खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–161 दिनांक– 21.02.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता, मंजु सुन्डी, पिता– स्व0 शिव दयाल सुन्डी ,ग्राम– बड़ालागिया,थाना– मुफ्फसिल के पास 2,00,000.00/– (दो लाख) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफ्फसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.40 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता(1)सामु बानरा,पिता-स्व0 सोमा बानरा(हो)(2)सोमाय बानरा,(3)चोकरो बानरा दोनों का पिता–स्व0 जुड़ाय बानरा ग्राम– टोन्टो,थाना- मुफ्फसिल,क्रेता मंजु सुन्डी, पिता– स्व0 शिव दयाल सुन्डी ,ग्राम– बड़ालागिया, थाना– मुफ्फसिल के पास जमीन को कुल 2,00,000.00/– (दो लाख) में मौजा– टोन्टो, थाना नं०–650,के अन्दर खाता नं०– 63प्लॉट नं०– 972,रकवा– 0.09½डी0 जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति..................दी जाती है।

लेखापित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा

//D:/Niraj All Work://1 TA MISS ORDER

Scanned with CamScanner